

क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम: शीत-श्रृंखला

बजट/एफ०एम०आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Cold Chain Maintenance

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): C.4

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं वित्तीय दिशा-निर्देश:-

शीत श्रृंखला संबंधित विभिन्न Electrical & Non Electrical उपकरणों की मरम्मती, संधारण एवं वैक्सिन वाहन के मरम्मती एवं रख-रखाव हेतु विभिन्न स्तर पर निम्न प्रकार से राशि का व्यय सुनिश्चित करे।

ईकाई राशि (रु० में) :-

1. सभी क्षेत्रीय वैक्सिन भण्डारण केन्द्र जहाँ W.I.C., WIF तथा सर्वो स्टेबलाईजर स्थापित हैं के रख-रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। इनकी मरम्मति हेतु राज्य से मेकैनिक् टीम जायेगी जिनके यात्रा-भत्ता, दैनिक भत्ता, पार्ट-पूजों की कीमत तथा मरम्मत का भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति औरंगाबाद, भागलपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, पूर्णिया, नालन्दा एवं सहरसा द्वारा किया जाना है। इस हेतु उपरोक्त सभी नौ जिला स्वास्थ्य समिति को रु० 20,000/- प्रति मशीन के आधार पर प्रावधान किया जा रहा है। जिसका आवंटन राशि कुल संख्या के आधार पर निर्भर करेगी।
2. प्रत्येक जिला एवं प्रा० स्वा० केन्द्र में Electrical Cold Chain उपकरण (यथा ILR & Deep freezer के Minor मरम्मती, एवं रख-रखाव हेतु प्रति जिला प्रति वर्ष 15,000/- की दर से एवं प्रति प्रा० स्वा० केन्द्र हेतु प्रति वर्ष रु० 3,000/- एवं वैक्सिन वाहन के मरम्मत हेतु रु० 25000/- प्रति वर्ष की दर से आवंटित की जा रही है।

सिविल सर्जन/जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी आवश्यकतानुसार उपरोक्त राशि का उपयोग कर सकते हैं।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करे।

(क)

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम : डॉ० मदन प्रसाद शर्मा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर : 9470003023







